

दुस्साहस. सदर थाना क्षेत्र के बलिदाद बाजार के खभईनी मोड़ के समीप की घटना अरवल में लूटपाट का विरोध करने पर चाकू से गोदकर ट्रक चालक की हत्या, छह पर केस

प्रतिनिधि, अरवल

सदर थाना क्षेत्र के बलिदाद बाजार के समीप खभईनी मोड़ के समीप गुरुवार की अहले सुबह अपराधियों ने चाकू से गोदकर एक ट्रक चालक की हत्या कर दी. मृतक की पहचान मेहँदिया थाना क्षेत्र के नट बिगहा गांव निवासी स्वर्गीय रविंद्र नाथ के 32 वर्षीय पुत्र प्रदीप कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गयी. वहीं, परिजनों के लिखित आवेदन पर सदर थाने में छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. मिली जानकारी के अनुसार, प्रदीप कुमार खभईनी मोड़ के समीप ट्रक खड़ा कर घर चले गये थे. इस दौरान ट्रक में उपचालक पहले से सो रहा था. आरोप है कि इसी बीच चार-पांच की संख्या में अपराधी ट्रक का शीशा तोड़कर अंदर घुस गये और उपचालक को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके पास से रुपये और मोबाइल फ़ोन छीनकर भागने लगे. इसी दौरान प्रदीप कुमार वहां पहुंच गये और अपराधियों का विरोध करने लगे. विरोध के दौरान अपराधियों ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये.घटना के बाद



अरवल में ट्रक चालक की हत्या के बाद विलाप करते परिजन .

घायल प्रदीप कुमार को परिजन इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. हालांकि, अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. वहीं, वारदात से आक्रोशित लोगों ने हत्या में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की. घटना के संबंध में परिजनों ने सदर थाने में लिखित आवेदन देकर छह लोगों के विरुद्ध

नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी है. पुलिस आवेदन में लगाये गये आरोपों और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. सदर थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी ने बताया कि मामले की जानकारी जुटायी जा रही है. अपराधियों तक पहुंचने और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस विशेष छापेमारी अभियान चला रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ट्रक की ठोकर से घायल अघेड़ की इलाज के दौरान मौत, सड़क जाम

सहदेई बुजुर्ग. सहदेई थाना क्षेत्र के जंदाहा-हाजीपुर मार्ग स्थित अंधाराबड़ चौक के पास तेज रफ़्तार ट्रक की ठोकर से एक बाइक सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर जुटे लोगों ने आनन-फ़ानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया. पीएमसीएच में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गयी. मृतक सहदेई थाना क्षेत्र के सहरीया गांव के वार्ड संख्या छह निवासी मच्छू राम का 35 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार राम उर्फ मंटू राम है. युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया. पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव गांव पहुंचा आक्रोशित लोगों ने घटना स्थल के पास शव रखकर सड़क जाम कर दिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि अरविंद राम बुधवार की देर रात हाजीपुर इंडस्ट्रियल परिया से ड्यूटी कर बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान अंधाराबड़ के पास जैसे ही सहदेई के तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि तेज रफ़्तार ट्रक ने बाइक में ठोकर मार दिया. ठोकर लगने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए. जहां से रेफर करने के बाद परिजन उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया. जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी.सड़क दुर्घटना के सहरिया की मौत के बाद गुरुवार की दोपहर जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा कि लोग आक्रोशित हो गए. लोगों ने शव को घटना स्थल के बीच सड़क पर रख कर तथा बॉस बल्ला लगाकर जंदाहा- हाजीपुर मार्ग को जाम कर दिया.

सुपौल में ट्रैक्टर की टक्कर से रिटायर्ड होमगार्ड जवान की मौत, पत्नी की हालत गंभीर

सुपौल. सड़क हादसे में गुरुवार को होमगार्ड के सेवानिवृत्त जवान की मौत हो गयी. जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं. मृतक की पहचान ब्रह्मदेव ठाकुर के रूप में हुई है. वे अपनी पत्नी के साथ सुखानस स्थित बेटी के घर से बाइक पर सवार होकर सुपौल लौट रहे थे. इसी दौरान कुम्हैट पुल के समीप एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. गंभीर रूप से घायल ब्रह्मदेव ठाकुर को सदर अस्पताल सुपौल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं, उनकी पत्नी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सुपौल के एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया है. वहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया. दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 43 जीए 2147 बताया गया है. पुलिस के अनुसार, ट्रैक्टर की पहचान कर ली गई है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

अररिया में भाई को मारी गोली, रेफर

अररिया. जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. बुधवार की रात करीब 9 बजे अचरा गांव में दो सगे भाई के बीच जमीन को लेकर हुए झगड़े में एक भाई ने दूसरे भाई पर गोली चला दी. गोली पेट में लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.घटना फुलकाहा थाना अंतर्गत अचरा गांव की है. बताया जा रहा है कि समत लाल यादव के दो बेटों पप्पू यादव उर्फ पवन यादव और बिपिन कुमार यादव के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. बुधवार की रात विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई. इसी दौरान आक्रोश में आकर पप्पू यादव उर्फ पवन यादव ने अपने भाई बिपिन कुमार यादव पर गोली चला दी. गोली सीधे पेट के पेट में लगी व वह लहलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. गोलीबारी की आवाज सुनते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई.

इधर, रोहतास में बदमाशों ने चाकू से हमला कर महिला की कर दी हत्या

नोखा (रोहतास).रोहतास जिले के धर्मपुरा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने चाकू से हमला कर 46 वर्षीय महिला रीता देवी की हत्या कर दी गुरुवार दोपहर नावाडीह गांव के मोड़ स्थित तीनमूहानी के पास वह खून से लथपथ गंभीर हालत में मिलीं. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया. हालांकि, बनारस ले जाने के दौरान मोहनिया के पास रास्ते में ही उनकी मौत हो गयी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गयी है. दिनदहाड़े महिला की हत्या से ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश है. मृतका की पहचान रोहथा गांव निवासी मुन्ना राम की 46 वर्षीय पत्नी रीता देवी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर रीता देवी पैदल कहीं जा रही थीं .उनके हाथ में एक झोला था, जिसमें थोड़ा चावल रखा हुआ था. इसी दौरान नावाडीह मोड़ की तीनमूहानी के पास उन पर चाकू से हमला कर दिया गया .गंभीर रूप से घायल महिला को स्थानीय लोगों ने बरब उग्र स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां से पुबुलेंस से सासाराम ले जाया गया . हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया. लेकिन, मोहनिया ले जाने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. घटना के बाद महिला की कान की बाली छीनने के दौरान चाकू से हमला किए जाने की आशंका जतायी जा रही है . एसडीपीओ -2 संजीव कुमार, धर्मपुरा थानाध्यक्ष रविरेज कुमार गुप्ता और नोखा थाने के अपर थानाध्यक्ष नवीन कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे .अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू की .

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
कोर्पोरेट कार्यालय नंबर 167/-169, दूसरी मंजिल, अन्ना सड़क, तैमपेरु-600015.
शाखा कार्यालय: पल्ली मंजिल, अन्ना एक्वेड, रुक्मपुरा, बेदी रोड, तिरुवा. बिहार - 800014
संपर्क विवरण: जेडआरएम, उमेश सिंह चौहान – 9938202386
| आरएलएम | ब्रजेश कुमार अवस्थी - 9918301885 | आरआरएम - मुकेश कुमार – 7277654331
ईमेल: Auction@hindujahousingfinance.com

निजी समझौते के माध्यम से बिक्री की सूचना
सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नियम 8(8) और 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित एचएचएफएल के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री

अधोहस्ताक्षरी, एचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत श्रेण्डुल में वर्णित संपत्ति को कब्जा में लिया है। आन जनता को एचदुदुरा सूचित किया जाता है कि श्रेण्डुल में वर्णित सुरक्षित संपत्ति, एचएचएफएल के बकायों की वसूली के लिए, एचएचएफएल को संकीर्ण शर्तों पर निजी समझौते/सार्वजनिक ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री हेतु उपलब्ध है। संपत्ति की बिक्री “जहाँ है जैसी है”, “जो है जैसी है” तथा “जो कुछ भी है” के आधार पर की जाएगी। मानक नियम एवं शर्तें

1. संपत्ति की बिक्री पूर्णतः “जहाँ है जैसी है”, “जो है जैसी है” तथा “जो कुछ भी है” के आधार पर की जाएगी। 12. केला को अपने आवेदन तथा केलाईनी दस्तावेजों के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा। प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर यह राशि आवश्यक 25% जमा राशि में समाविष्ट कर दी जाएगी। ब्याना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 13. एचएचएफएल द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर केला को अपने कार्यविनय तक बिक्री प्रक्रिया का 25% (प्राथमिक 10% स्वीट) जमा करना होगा। 14. बिक्री प्राधिकृत की रकम 75% राशि बिक्री की पूर्ति होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। 15. निश्चित समय-सीमा के भीतर राशि जमा करने में सफल रहने पर जमा की गई समस्त राशि, जिसमें प्राथमिक 10% राशि भी शामिल है, स्वतः जब्त कर दी जाएगी। इसके बाद बिना किसी अतिरिक्त सूचना के संपत्ति का पुनः विक्रय किया जा सकता है। 6. यदि एचएचएफएल प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, तो प्राथमिक 10% जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 17. रु 50,00,000/- से अधिक की बोली के मामले में सफल केला को आयकर अधिनियम की धारा 194-1A के अंतर्गत 1% टीडीएस जमा करना होगा। 18. संपत्ति का विक्रय सभी मौजूदा एवं भविष्य के भारों/देनदारियों के साथ किया जाएगा, चाहे उनकी जानकारी एचएचएफएल को हो या न हो। किसी तीसरे पक्ष के दावों, अधिकारों अथवा वैधानिक बकायों के लिए एचएचएफएल जिम्मेदार नहीं होगा। 19. केला को संपत्ति के सभी पहलुओं की स्वतंत्र रूप से जाँच-पड़ताल करनी होगी। बाद में किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 10. एचएचएफएल को बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने अथवा नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। 11. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट www.bankeauctions.com अथवा सेवा प्रदाता मेसर्स C1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराया गए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही आयोजित की जाएगी। 12. बोलीदाता अपनी सुविधानुसार किसी भी स्थान से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी संबंधी किसी भी समस्या के लिए सुरक्षित ऋणदाता/सेवा प्रदाता जिम्मेदार नहीं होगा। 13. ई-नीलामी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए संबंधित बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स C1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं। जिसका कोर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर-44, गुडगांव, हरियाणा-122003 में स्थित है (संपर्क व्यक्ति: श्री मिथिलेश कुमार, मोबाइल नंबर: 7080804446, ईमेल: Mithalesh.kumar@cindia.com, ईमेल: tn@cindia.com, Prabhakaran.Mallachamy@cindia.com, और सपोर्ट (हेल्पलाइन) मोबाइल नंबर: +91-72998124/25/26, सपोर्ट ईमेल: Support@bankeauctions.com)। 14. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक नीलामताओं को पंजीयन समय पहले <https://www.bankeauctions.com> पर अपना पंजीकरण कार्याचर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त होने ही बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपना पासवर्ड बदल लें। 15. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को वापसी योग्य ब्याना राशि (EMD), अर्थात् ऊपर उल्लिखित आवश्यकताओं का 10%, जमा करना होगा। यह राशि डिमांड ड्राफ्ट/NEFT/RTGS के माध्यम से “Hinduja Housing Finance Limited” के पक्ष में जमा की जाएगी। 16. इच्छुक पक्ष संपत्ति का विवरण प्राप्त करने तथा अपना प्रस्ताव, ईमेलडी और केलाईनी दस्तावेज जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। प्रस्ताव एवं संबंधित दस्तावेज 23 अक्टूबर 2026 को शाम 5:00 बजे तक जमा किए जाने चाहिए। 17. सफल नीलामी के बाद कंठक संपत्ति से संबंधित सभी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, कर तथा अन्य वैधानिक खर्चों का वहन करना होगा। 18. नीलामन न्यायिक निर्देशों के अनुसार, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के अंतर्गत उधारकर्ताओं/बैंकों/क्रेडिटर्स को मौन का अधिकार इस सूचना के प्रकाशन की तारीख को समाप्त माना जाएगा। 19. बिक्री सरफेसी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

शेड्यूल	बकाया राशि:
संपत्ति का विवरण (सुरक्षित संपत्ति): 1 कड़ा क्षेत्रफल आवेसीय भूमि पर बना निर्माण सहित वाहनों का संपूर्ण टुकड़ा तथा अंश जो स्थित है मोजा मोजा-छपरा, थाना-पहरपुर, थाना नंबर-104, जिला-डिमांड पंचायत में इसका खाता सं. 92, आर.एस.पी. 1544, 1543, 1546, 1545, कुल क्षेत्रफल 1 कड़ा, जौहड़ी : उपर - निज नमोकिर, दक्षिण - पक्की सड़क, पूर्व - बंदना देवी, पश्चिम - मणि प्रसाद.	रु 87,01,797/- (रुपये सत्तर लाख एक हजार सात सौ सौ सत्ताने मात्र)। 15 अक्टूबर 2026 तक आरक्षित मूल्य: रु 50,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र) ईमेलडी : रु 50,00,00/- (रुपये पचास हजार मात्र)
ऋण संख्या: (बीआर/बीटीएन/बीटीएन/ए/0000000301) उधारकर्ता का नाम: 1. श्री हरिशंकर प्रसाद (उधारकर्ता) पुत्र जगरनारा प्रसाद, वार्ड नंबर 09, ग्राम भाजा छपरा पोस्ट कृतिपुर, पूर्वी चंपारण अररिया, मोतिहारी, मध्य विभाग, बिहार - 845414	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 23 अक्टूबर 2026, 1700 बजे तक। ई-नीलामी की तिथि/समय : 2 नवंबर 2026, 1100 बजे -1300 बजे बोली वृद्धि की राशि: रु 10,00,00/-
2. श्रीमती मधु देवी (सह-उधारकर्ता) पत्नी - हरिशंकर प्रसाद, वार्ड नंबर -09, ग्राम - भाजा छपरा, पोस्ट - कीर्तिपुर, पूर्वी चंपारण, अररिया, मोतिहारी, बिहार 845414	

तिनांक: 16.10.2026
स्थान: पटना

OVERNMENT POLYTECHNIC, MADHUBANI
At – ARARIA TANGAPUR, JHANJHARPUR (BIHAR)
P.O – SULA PATGANJ, PIN 847109
E-mail: govppolytechnicmdb@gmail.com
7Ref. No. – Advt, No-03/2026. /Madhubani

VACANCY ANNOUNCEMENT

Government Polytechnic Madhubani invites eligible candidates for NATS Trainee for the following departments.

Sl No.	Branch/Department	Qualification	No. of Vacancy	Stipend amount per month (in Rs.)
01.	Civil Engineering Computer Science and Engineering Electrical Engineering Electronics Engineering Mechanical Engineering	Degree/Diploma	03	15,000/- (Degree) 10,000/- (Diploma)

The candidate needs to appear in the walk in interview on **26/10/2026**
Reporting Time:- 11am
Venue: Government Polytechnic Madhubani
At- ArariaSangram Po-Tulapatganj PJs-jhanjharpur 847109

- It is mandatory for the candidates to have valid NATS student ID
- Candidates are supposed to come with their CV, one set of Xerox copy of all academic as well as reservation certificate (if applicable) along with valid ID proof and all the original documents for verification.
- Candidate must pass out Degree/diploma in last three year
- There is no provision of TA/DA for interview.

Principal
Govt. Polytechnic Madhubani
PR- 013605 (Science & Tech.) 2026-27

For further details please visit : www.state.bihar.gov.in/prdbihar

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

Govt. of Bihar						
North Bihar Power Distribution Company Limited, Patna						
(Regd. Office: Vidhyut Bhawan, Bailey Road, Patna) TIN VAT No.10011248088 TIN CST No. 1001132165 CIN U40109BR20125GCO18920 Contact No.: 9264438936, Email:cecivil.nbpdc@gmail.com						
(DEPARTMENT OF CIVIL) NOTICE INVITING TENDER NIT No. 52/PR/NBPDC/L 2026 (Through e - procurement mode only- www.eproc2.bihar.gov.in)						
Online e-Tenders are invited by Chief Engineer (Civil), from eligible and experienced Agency/Firm/Company/State or Central Govt. Undertaking, for the work noted below						
S. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money Deposit (EMD)	Tender Fee	Tender Processing Fees	Comple tion time
1.	Construction of Closed Shed (50'x30') at TRW, Siwan under Civil Division, Siwan.	₹ 33,55,600/-	₹ 67,200/-	₹ 5,900/-	₹ 1,180/-	3 (Three) Months
2.	Construction of platform (50'x30'), Boundary wall, PCC approach road and Area development at TRW Gopalganj.	₹ 45,63,800/-	₹ 91,300/-	₹ 5,900/-	₹ 1,180/-	3 (Three) Months
3.	Construction of 01 no. Closed Shed (50'x30'), Boundary wall, PCC Internal road, Area development, R&M of Office Building at TRW Udakishunganj (Madhepura).	₹ 79,72,100/-	₹ 1,59,500/-	₹ 11,800/-	₹ 5,900/-	5 (Five) Months
4.	Construction of 02 nos. closed shed (50'x30'), Boundary wall, PCC Road, Area Development and dismantling of existing dilapidated structure at TRW Shantinagar, Sitamarhi.	₹ 87,42,700/-	₹ 1,74,900/-	₹ 11,800/-	₹ 5,900/-	6 (Six) Months
5.	Construction of New Control Room Building, PCC & Graveling in Switchyard along with Fencing and Boundary wall at 33/11 KV PSS Anar under Civil division Darbhanga.	₹ 1,96,84,000/-	₹ 3,93,700/-	₹ 11,800/-	₹ 5,900/-	9 (Nine) Months
6.	Construction of Closed Shed (50'x30'), Height raising of Boundary wall, Brick drain, R&M of Electrical wiring, Area development and Dismantling of existing abandoned building at TRW Kalyanpur under Civil division Samastipur.	₹ 89,72,300/-	₹ 1,79,500/-	₹ 11,800/-	₹ 5,900/-	6 (Six) Months

Bid submission Start Date and Time	From 10:00 AM of 28/10/2026
Bid submission End Date and Time	To 01:00 PM of 18/11/2026
Date of opening of Technical & Commercial Part:	After 03:30 PM of 20/11/2026
Date of opening of price part:	To be notified after Technical Bid Evaluation (www.eproc2.bihar.gov.in)
Pre-Bid meeting	From 3.00 PM To 5.00 PM on 03/11/2026

Chief Engineer (Civil)
NBPDC
For complains regarding corruption Vigilance Help Line No.- 9431821485, 0612-2504969 Consumer can deposit electricity bills via Sahaz Vasudha Centre or via bsebillsl.org
e-tendering introduced in NBPDC for tenders above Rs. 10 lacs. For registration log in to www.eproc2.bihar.gov.in and e-Procurement Help Desk Toll Free Number: 1800 572 6571
Email Id: eproc2support@bihar.gov.in
Working Hours: 8AM to 7PM (All days in week except few selected state holidays)

“विवादों के निष्पादन के लिए लोक अदालत का लाभ उठाये।”
“परस्पर सहमति से न्यायिक निर्णय प्राप्त करें।”
“समय एवं खर्च की बचत करें।”

For further details please visit : www.state.bihar.gov.in/prdbihar
PR.No.013645 (B&C) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

परिवहन विभाग						
सूचना						
पत्रांक -04/STA-(विधि)-04/2026 पत्रि-8619						
निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा-3(c-a) के तहत संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गयाजी, दरभंगा एवं मुंगेर द्वारा अन्तर्देशीय मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु की गयी अनुशंसा निम्नलिखित मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु प्रारूप का प्रकाशन परिवहन विभाग के वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/transport पर किया गया है :-						

मार्गनियम अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(C-4) के तहत निर्धारित किया जा रहा है और 2010, गयाजी एच. दरभंगा द्वारा प्रस्तावित नये अन्तर्देशीय मार्गों की सूची :-					
क्र० सं०	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग का भाग	मार्ग की दूरी (किमी)	अभियुक्ति
1		गयाजी डिपो से बिहारशरीफ डिपो	मानपुर, बजौरगंज, दुर्गौ, मंझरे, हिसुआ, नारदीगंज, राजगीर, सिलाब, नालन्दा, रामनगरपुर बस स्टैंड	105	आर.टी.ए. गयाजी
2		गयाजी डिपो से बिहारशरीफ डिपो	मानपुर, अलीपुर, अईमा, किरौली, खिजूरसराय, कुडवा, नई बाजार, हुलासगंज, ईरलासपुर, एमगरसराय, निचरगंज, परसलपुर।	112	आर.टी.ए. गयाजी
3		गयाजी डिपो से परसरी	पंचानपुर, कोच, गोह, देवरा, पचरुखिया, हसपुरा, पिरु, मेहनिया, बलियाद।	85	आर.टी.ए. गयाजी
4		गयाजी डिपो से एकासरसराय	मानपुर, अलीपुर, अईमा, किरौली, खिजूरसराय, कुडवा, नई बाजार, हुलासगंज, ताट, ईरलासपुर, अकबरनगर।	75	आर.टी.ए. गयाजी
5		गयाजी डिपो से भागलपुर डिपो	बजौरगंज, हिसुआ, नवादा डिपो, पकरीरमा, आढ़ा, अलीगंज, शिकन्दर, जगुई डिपो, बल्लपुर, खड़गपुर, तारापुर, असरगंज, सुलतगंज, अकबरनगर।	258	आर.टी.ए. गयाजी
6		गयाजी डिपो से आरा डिपो	पंचानपुर, कोच, गोह, बेहरा, पचरुखिया, दादरदनगर, नारसिंगगंज, कारकाट, किमानगंज, पीरौ, चरखीचरी, गडहनी, उदयनगरगंज, बिजौर।	168	आर.टी.ए. गयाजी
7		गयाजी डिपो से अरवल	पंचानपुर, कोच, गोह, देवरा, पचरुखिया, हसपुरा, तेलवा, बेलापुर, बैदाबाद।	106	आर.टी.ए. गयाजी
8		नवादा डिपो से औरंगाबाद डिपो	पार नवादा, सदरमाणा चौक, हिसुआ, बजौरगंज, मानपुर, गया डिपो, डोमौ, शेखावाटी, आमस, मदनपुर, देवमोड़।	165	आर.टी.ए. गयाजी
9		गयाजी डिपो से शेखावाटी	दिशुगंज, केरकी, दशैगपुर, सगाही।	37	आर.टी.ए. गयाजी
10		औरंगाबाद डिपो से जहानाबाद डिपो	ओबरा, दादरदनगर, मेहनिया, अरवल, मयारी, ईमामगंज, बिजौर।	107	आर.टी.ए. गयाजी
11		गयाजी डिपो से राजगीर	मानपुर, अलीपुर, अईमा, किरौली, खिजूरसराय, कुडवा, सलेमपुर नहर, आदरनपुर, सपनेरी, महकार, सलामन, सरखवा, छपलापुर।	75	आर.टी.ए. गयाजी
12		गयाजी डिपो से लारी	पंचानपुर, टेकारी	43	आर.टी.ए. गयाजी
13		गयाजी डिपो से उससदेवरा	डेहला, पंचानपुर, कोच, सिधवार्ली, महदीपुर, तुलरुखी।	55	आर.टी.ए. गयाजी
14		गयाजी डिपो से परसरी	डेहला, पंचानपुर, कोच, गोह, देवरा, पचरुखिया, हसपुरा, पिरु, मेहनिया, बलियाद।	83	आर.टी.ए. गयाजी
15		औरंगाबाद डिपो से बिहारशरीफ डिपो	देवमोड़, मदनपुर, आमस, शेखावाटी, डोमौ, गयाजी डिपो, मानपुर, बजौरगंज, दुर्गौ, मंझरे, हिसुआ, नारदीगंज, राजगीर, सिलाब, नालन्दा, रामनगरपुर बस स्टैंड।	195	आर.टी.ए. गयाजी
16		दरभंगा से लोकही	सकरी, कुलपसरा, मुताहा चौक, अमरीही, जरौली, कचनरवा	102	आर.टी.ए. दरभंगा

सूची - (ii)
मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत बसों के परिवहन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3) (c-a) के तहत अधिसूचित होने वाले अन्तर्देशीय मार्गों की सूची :-

सं०	संख्या	नाम का मान	नाम का भाग	(कि०मी०)	जानकारी
1		डंडारी प्रखण्ड से खागड़िया डुमरी	डंडारी, बलिया(लखमिगंजा), साहेबपुर कमाल, कुरहा, खागड़िया, मानसी, महेशखूंट, करुआमोड़, उसराहा, डुमरी	62	आर०टी०ए०, मुंगेर

सूची - (iii)
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3) (c-a) के तहत अधिसूचित अन्तर्देशीय मार्गों के भाग में संशोधित किये जाने संबंधी विवरणी।

क्र० सं०	रूट कोड	मार्ग का नाम	पूर्व का भाग	संशोधित मार्ग का भाग	मार्ग की दूरी (कि.मी.)	अभियुक्ति
1	3203	बौका से बैकुसराय	ढाकागोरे, रजौन, जगदीशपुर, भागलपुर स्टेशन, भागलपुर जीरो माइल, जीरो माइल, नौगछिया, थाना-विहपुर, महेशखुंट, मानसी, खगडिया, बलिया	ढाकागोरे, रजौन, जगदीशपुर, भागलपुर स्टेशन, भागलपुर जीरो माइल, नौगछिया, थाना-विहपुर, नारायणपुर, पसरहा, महेशखुंट, मानसी, खगडिया, बलिया		आर टी.ए. भागलपुर